84. Pal

गणतंत्र दिवस
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : प. 40 (35)सामान्य / 2014 / 18961-19075 दिनांक 23.12.2014

आदेश

विगत वर्षों की भांति आगामी गणतन्त्र दिवस समारोह, 2015 (26 जनवरी, 2015) के अवसर पर राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष में प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएगे, जिसके लिए प्रस्ताव सदैव की भांति विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के परिपत्र सं. 7597 दिनांक 10 जुलाई, 2001 के अनुसार आपके अधीन नियोजित सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र दिये जाने के प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखकर प्रेषित करें। उक्त प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 10 जनवरी, 2015 तक अवश्यमेव इस कार्यालय को भिजवा दिये जावे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगाः–

1. प्रस्ताव संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विभागाध्यक्ष अथवा जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सर्वोच्च नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ही भिजवाए जावें। विभिन्न अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाकर यह प्रस्ताव संबंधित विभागाध्यक्षों को लौटा दिये जायेंगे।
2. प्रस्ताव के साथ अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच / शिकायत विचाराधीन नहीं होने, गत 7 वर्षों में किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिये जाने एवं गत 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्ठि अंकित नहीं होने बाबत विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए।
3. एक विभाग द्वारा दो (अधिकारी / कर्मचारियों) से अधिक के प्रस्ताव नहीं भिजवाए जावें। दो से अधिक प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्रस्ताव के साथ कर्मचारी के कैरियर के संबंध में विवरण तथा सरकारी कर्मचारी की सेवाऐं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी / उत्कृष्ठ सिद्ध हुई है, इसके संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख कर प्रस्ताव भिजवाए जावें।
5. गत पांच वर्षो में सम्मानित किये गये व्यक्तियों के प्रस्ताव इस कार्यालय को दुबारा नही भिजवाये जावें।

अतः विभिन्न विभागाध्यक्ष / नियंत्रण अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्यालयों को उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत कराते हुए प्रशंसा पत्र के प्रस्ताव भिजवाते समय उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अपने प्रस्ताव इस कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2015 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शहर प्रथम, जोधपुर

5966
30.12.14

क्रमांक : एफ. 40 (35)सामान्य / 2014 / 18961-19075 दिनांक :23.12.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, महा निरीक्षक पुलिस रेन्ज, जोधपुर / सम्भागीय आयुक्त / पुलिस आयुक्त जोधपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण / सी.आई.डी.) जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / भू जल विभाग जोधपुर।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक / मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग, जोधपुर।

< REPUBLICE DAY--2014

JODHPUR DISCOM
DATE.........
1 DIR ( ) 2 CE ( )
3 SECY (ADMN.) 4 DY CE (104)
5 CAO ( ) 6 SE ( )
7 COMP.SECY 8 ASP (VIG.)
9 XEN ( ) 10 PRO
11 SH.........

7174
30/12

29.12.14

:: प्रपत्र ::

उम्मीदवार की प्रशंसनीय सेवाओं के लिये प्रशंसा–पत्र स्वीकृत करने हेतु

प्रार्थना पत्र के साथ सूचनायें

1	सरकारी कर्मचारी का नाम :	
2	पद एवं वर्तमान वेतनमान :	
3	कार्यालय का नाम :	
4	नियुक्ति की दिनांक से अब तक धारित किये गये पद एवं तिथि	
5	सेवा का नाम :	
6	निवास स्थान का पता :	
7	दूरभाष नं. (यदि हो ?)	मोबाईल नम्बर ....
8	जन्म तिथि :	
9	राज्य सेवा में प्रवेश की तिथि	
10	किये गये उत्कृष्ट कार्य का विवरण जिसके लिये उसका चयन विचाराधीन है।	
11	विभागीय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किये जावे। (क) इस कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है। (ख) कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच, शिकायत की जांच विचाराधीन नहीं है। (ग) उम्मीदवार के गत 7 वर्षों का कार्य मुल्यांकन में कोई प्रतिकूल प्रविष्ठि न हो।	
12	विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषण टिप्पणी जिसके तहत उसकी सिफारिश की गई है।	
13	क्या पूर्व में प्रशंसा पत्र दिया गया है ? यदि हां तो कब दिया गया ? विवरण दें।	
14	अन्य कोई सुसंगत संबंधित सूचना।	

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष, मय रबड़ मोहर

नोट : प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रपत्र में सूचना पूर्ण करके ही प्रस्ताव निश्चित तिथि तक भेजा जावे, अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जावेगा।